भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2197

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां

†2197. श्री मनीश तिवारीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जीएमसीएच), सरकारी मल्टी स्पेसियलिटी अस्पताल (जीएमएसएच) और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ जैसे चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत और रिक्त पदों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पीजीआईएमईआर, जीएमसीएच और जीएमएसएच में नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति, कैडर समीक्षा और पुनर्गठन में विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति, यदि कोई हो, क्या है;

(ग) क्या स्टाफ की कमी के कारण इन अस्पतालों में रोगी देखभाल, ओपीडी, आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं प्रभावित हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन अस्पतालों में सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्टाफ की कमी की वजह से ज़रूरी नर्सिंग या पैरामेडिकल सेवा की आउटसोर्सिंग को मंजूरी दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच), चंडीगढ़, गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (जीएमएसएच), चंडीगढ़ और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित है:

अस्पताल का नाम	नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों की संख्या	नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या	पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पदों की संख्या	पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या
जीएमसीएच	1264	281	330	86
जीएमएसएच	154	30	233	70
पीजीआईएमईआर	2597	247	856	120

(ख) जीएमसीएच, चंडीगढ़ और जीएमएसएच, चंडीगढ़ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पदोन्नति में कोई विलंब नहीं है।

पीजीआईएमईआर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नर्सिंग स्टाफ सहित गैर-संकाय स्टाफ के विभिन्न कैडरों के पुनर्गठन के लिए तीसरी कैडर समीक्षा की जा चुकी है। नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति में देरी के संबंध में, माननीय सीएटी, चंडीगढ़ ने 17.07.2025 को "हेमंत कुमार और अन्य बनाम पीजीआई" शीर्षक वाले ओए संख्या 751/2022 के अपने फैसले में पीजीआईएमईआर को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (एसएनओ) से सहायक नर्सिंग अधीक्षक (एएनएस) पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक वर्तमान स्वरूप में आयोजित करने से "रोक" दी है और डीपीसी आयोजित होने से पहले 6 महीने के भीतर कुछ अनुपालन सुनिश्चित करने का उल्लेख किया है।

(ग) जीएमसीएच और जीएमएसएच द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बहिरंग रोगी विभाग, आपातकालीन या ट्रॉमा सेवाएं अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कर्मचारियों की सहायता से संचालित की जाती हैं। पीजीआईएमईआर ने आगे यह भी सूचित किया है कि वह सभी रोगी परिचर्या क्षेत्रों में अपनी इष्टतम क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है ताकि सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) संबंधित अस्पताल की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

(ङ) संबंधित अस्पताल की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार पदों का सृजन किया जाता है। नव सृजित और रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है जो समय-समय पर की जाती है।

*****